राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 631/2008/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वृत–'जी', जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बजाज एक्सपोर्ट्स,
अम्बर टॉवर, संसारचंद्र रोड़, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/06/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 71/आरएसटी/जी/2006–2007 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.05.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 85 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–जी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2003–2004 का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2006 को पारित किया गया, जिसमें अन्य बिन्दुओं पर विचार करने के साथ–साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा टर्नओवर टैक्स मुक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2003 को अर्थात् निर्धारित तिथि दिनांक 27.07.2003 के पश्चात विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कुल टर्नओवर पर 0.25 प्रतिशत से टर्नओवर टैक्स एवं सरचार्ज रूपये 57,543/–, ब्याज रूपये 14,365/– एवं शास्ति रूपये 880/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2007 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा पण्यावर्त कर मुक्ति से विकल्प का प्रार्थना–पत्र मय मुक्ति शुल्क राशि, शास्ति व ब्याज के कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 11.12.2003 को प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसे राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 10(2) के आलोक में स्वीकार किया जाना चाहिये था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलम्ब को कन्डोन नहीं किया जाकर 0.25 प्रतिशत की दर से पण्यावर्त कर, सरचार्ज, ब्याज व शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **13 टैक्स अपडेट 17 वाणिज्यिक कर अधिकारी, जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट उद्योग** प्रस्तुत करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि से सम्बन्धित पण्यावर्त कर से मुक्ति का विकल्प प्रार्थना–पत्र मुक्ति शुल्क की राशि सहित दिनांक 11.12.2003 को कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया था, जो कि विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 10 की उपधारा (1) व (2) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

Rule 10. Application for certificate of exemption.-

(1) An application by a dealer for obtaining a certificate of exemption shall be submitted in form ST-1 to the assessing authority within sixty days from the date of issue of the notification concerned or within sixty days from the date of the commencement of the business, whichever is later, and such application shall be .accompanied by a copy of the Treasury/Bank challan in form ST-10 through which the fee specified for grant of such exemption has been deposited.

(2) Where an application under sub-rule (1) is not filed in the time prescribed, the assesing authority may on sufficient

7. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त **13 टैक्स अपडेट 17 वाणिज्यिक कर अधिकारी, जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट उद्योग** में माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय द्वारा निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

Rajasthan Sales Tax Act, 1994, sections 13-A and 15 Rajasthan Sales Tax Rules, 1995, rule 10 - Notification dated 30.03.2000 - Whether the tax and interests were rightly levied because the non petitioner admittedly did not apply in time for exemption from turnover tax; and, whether the dealer could be given premium for his delay and default ? While dismissing the revision petition, the Rajasthan High Court held that the relevant provisions of law being clear and unambiquous and having been rightly applied by the learned appellate authorities below, this Court is clearly of opinion that no question of law worth consideration arises in this revision petition.

While dismissing the revision petition, the Rajasthan High Court held that :-

i) A bare look at Section 13A is sufficient to show that the provisions of exemption under section 15 of the Act do apply in this turnover tax also and it is for this reason that the State Government issued notification No. F.4(1)FD/Tax/2000-302 dated 30.03.2000 whereunder the exemption was granted to a dealer from turnover tax on the conditions spelt out in clauses (1) to (7) of the said notification.

ii) The notification has been issued under section 15 of the Act and a conjoint reading of notification with section 15 of and section 13A makes it clear that the said notification has never ruled out the applicability of Chapter-III of the Rules of 1995 and on the contrary for the very reasons that the notification has been issued under section 15 of the Act, Rule 9 and 10 of the Rules have a direct and meaningful application to the said notificastion and

iii) The Court is clearly of opinion that the appellate authorities have a rightly applied the law applicable to the case and have condoned the delay and set aside the order passed by the assessing authority.

8. राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 10(2) एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के संयुक्त पठन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी को विलम्ब शुल्क आरोपित करते हुए व्यवहारी का पण्यावर्त कर से मुक्ति हेतु प्रस्तुत किया गया विकल्प प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना चाहिये था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का विकल्प प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करते हुए कर, सरचार्ज, ब्याज व शास्ति का आरोपण

अपील स्वीकार करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित पण्यावर्त कर, सरचार्ज, ब्याज व शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

(मनोहर पुरी)
सदस्य